

कार्यालय राजस्थान रीयल एस्टेट रेगुलेटरी ऑथोरिटी  
(नगर नियोजन भवन, जे.एल.एन. मार्ग, जयपुर)

101 (3)

क्रमांक : प.4(1)आरजे/रेस/2017 / 450


जयपुर दिनांक : 21 DEC 2017

अधिसूचना

भू-सम्पदा (विनियमन और विकास) अधिनियम, 2016 की धारा 3 की उप-धारा (1) के द्वितीय परन्तुक में प्रावधान है कि यदि रीयल एस्टेट रेगुलेटरी ऑथोरिटी, आवंटियों के हित में, उन परियोजनाओं (Projects) के लिये, जो योजना क्षेत्र (Master Plan/Master Development Plan area) से परे किन्तु स्थानीय प्राधिकारी की अपेक्षित अनुज्ञा से विकसित की जाती है, आक्षेपक समझता है तो वह, संप्रवर्तक (Promoter) को उस परियोजना को रीयल एस्टेट रेगुलेटरी ऑथोरिटी के पास पंजीयन कराने का निर्देश दे सकता है और भू-सम्पदा (विनियमन और विकास) अधिनियम, 2016 तथा इसके अधीन बनाये गये नियमों और विनियमों के उपबंध उन परियोजनाओं के पंजीकरण के समय लागू होंगे।

रेगुलेटरी ऑथोरिटी के ध्यान में लाया गया है कि राज्य में योजना क्षेत्रों से परे भी संप्रवर्तकों (Promoters) के द्वारा आवासीय/व्यवसायिक परियोजनाएँ विकसित की जा रही हैं जहाँ पर आवंटियों के हित को संरक्षित किया जाना रेगुलेटरी ऑथोरिटी आक्षेपक समझता है।

अतः उक्त अधिनियम की धारा 3 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये रेगुलेटरी ऑथोरिटी राज्य में ऐसी आवासीय एवं व्यवसायिक परियोजनाएँ जो योजना क्षेत्र से परे हैं तथा जो स्थानीय प्राधिकारी की अपेक्षित अनुज्ञा से विकसित की जाती हैं, के प्रत्येक संप्रवर्तक (Promoter) को निर्देश देती है कि वे अपनी प्रस्तावित परियोजना को तुरन्त प्रभाव से तथा इस आदेश को जारी करने से पूर्व प्रारम्भ की जा चुकी परियोजना को इस आदेश को जारी करने से तीन माह की अवधि के भीतर भू-सम्पदा (विनियमन और विकास) अधिनियम, 2016 तथा इसके अधीन बनाये गये नियमों एवं विनियमों के उपबंधों के अन्तर्गत पंजीकृत करवाने के लिये आवेदन करें।

रेगुलेटरी ऑथोरिटी का आज्ञा स.  
  
(प्रदीप कपूर)  
रजिस्ट्रार

राजस्थान रीयल एस्टेट रेगुलेटरी ऑथोरिटी

प्रतिलिपि :- निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. प्रमुख सचिव, मुख्यमंत्री राधिकालय, राजस्थान, जयपुर।
2. विशेष सहायक माननीय मंत्री, नगरीय विकास, आवासन एवं स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान, जयपुर।
3. सचिव, आवासन एवं शहरी मामले मंत्रालय, भारत सरकार, निर्माण भवन, नई दिल्ली-110011।
4. उपसचिव, मुख्य सचिव, राजस्थान, जयपुर।
5. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, नगरीय विकास विभाग, राजस्थान, जयपुर।
6. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, राजस्व विभाग/ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग, राजस्थान, जयपुर।
7. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान, जयपुर।
8. पीठासीन अधिकारी, रीयल एस्टेट अपीलिय अधीकरण, स्टाफ्हा भवन, रीयल एस्टेट, जयपुर।
9. निदेशक, स्थानीय निकाय विभाग, राजस्थान, जयपुर।